CH-3 संविधान की मूल संरचना

"बहुमत की अस्थायी इच्छा हमारे संविधान के स्थायी और आधारभूत ढाँचा तथा संविधान के संस्थापकों के दृष्टिकोण को प्रभावहीन तथा अभिभूत नहीं कर सकती हैं।"

अर्थ

- मूल और मौलिक प्रावधान जो संविधान के बुनियादी रूपरेखा का गठन करते हैं।
- न्यायपालिका द्वारा केशवानंद भारती मामला 1973 में इसे प्रतिपादित किया गया|
- "मूल संरचना" शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है।
- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह परिभाषित नही किया है कि संविधान की 'मूल संरचना' क्या है।

"मूल संरचना" सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास

शंकरी प्रसाद मामला 1951

- अनु. *368* के तहत मौलिक अधिकारों के संशोधन का प्रश्न पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) (मौलिक संपत्ति का अधिकार) *1951* में आया।
- संसद, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है और ऐसा कानून अनु.13 के तहत अमान्य नहीं होगा। (अनु.*13* के अंतर्गत केवल सामान्य कानून ही आती है,उसमें संविधान संशोधन को शामिल नहीं किया गया हैं।)

गोलखनाथ मामला*1967*

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मौलिक अधिकार लोकोत्तर और अपरिवर्तनीय है।
- इसलिए, संसद किसी भी मौलिक अधिकार में न तो कटौती कर सकती है, और न ही किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है।

*24*वाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम *1971*

- संसद, अनु. 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित या वापस ले सकती है। इसे अनु.13 के तहत 'कानून' नही माना जाएगा।

केशवानंद भारती मामला *1973*

- सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले *(1967)* के अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट करते हुए अपना फैसला सुनाया।
- इसमें कहा गया कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को खत्म करने या हटाने का अधिकार है।
- 'संविधान की मूल संरचना' नामक नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया|
- सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि अनु. 368 के तहत संसद संविधान के 'मूल ढांचे' को बदलने में सक्षम नहीं है।
- संसद संविधान की 'मूल संरचना' से सम्बंधित मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है।

केशवानंद भारती मामले का प्रभाव

- इसने संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति में सीमाएं निर्धारित की।
- यह संसद को बुनियादी ढांचे के अधीन संविधान के किसी भी या सभी भागों में संशोधन करने की अनुमति देता है।
- न्यायपालिका यह निर्णय करेगी कि कोई संशोधन बुनियादी संरचना का उल्लंघन करता है या नहीं।

इंदिरा गांधी मामला *1975*

- संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की पुनः पुष्टि की गई।

*42*वां संविधान संशोधन *1976 -*